



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

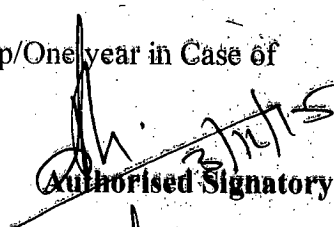
(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

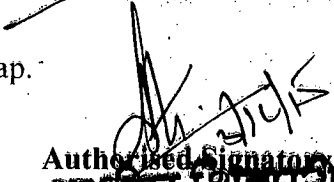
ID No. :-	26112014004	Block/Sector	-----/N/A
Plot/House	M-02/-----	Scheme	-----
Permit Date	21-11-2015	Application Date	26-11-2014
Permit No.	761/BHAWAN/14-15		
Area(Place)	CHAKERI		
Land Usage	Group Housing		
Applicant's Name	SMT ROOPA GOYAL		
Present Address	486 D POKHARPUR, LAL BANGLA KANPUR		

Sanction vide order dated : **18-08-2015** V.C build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


Authorised Signatory

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.


Authorised Signatory
आशोक शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

अनुज्ञा कि शर्त :-

- 1 यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू / गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विषयिक कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 2 यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
- 3 किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारमिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में चाहे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे में दर्ज दिए गए की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृती अनिवार्य है।
- 4 अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
- 5 यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विधुत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिए जाये।
- 6 रेन वाटर हावर्सिंग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी। पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार 4 ब्रक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
- 7 निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
- 8 दिये गये शपथ पत्र के क्रम में भविष्य में विकास शुल्क के मद में कोई देयता बनती है तो देय होगी।
- 9 उपर नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 -ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 10 भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- 11 मानचित्र की स्वीकृति ^{समूह आवास} हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 12 किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
13. दिये गये शपथपत्र के क्रम में अनुज्ञा निर्माण की अवधि उक्त पत्र हीन माह के -
अथवा उक्त माह के उपरान्त ही स्थल पर विध्वंस कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

Authorised Signatory
आशुषि शिवपुरी
मुख्य नगर नियोजक

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक- डी/21/मु0न0नि0/काविप्रा/17-18

दिनांक-01-05-17

सेवा में,

श्रीमती रूपा गोयल,
भूखण्ड संख्या-एम-2, चकरी,
कानपुर।

विषय- भूखण्ड संख्या-एम-2 चकरी के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.04.17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें उक्त भूखण्ड पर कोई आई0डी0/परमिट फार्म निर्गत नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-761/भव/14-15 दिनांक 21.11.15 पर चूंकि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत है अतः तत्समय जारी आई0डी0/परमिट फार्म ही वैध माने जायेंगे।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय
01/05/17
(अशोक शिवपुरी)
मुख्य नगर नियोजक